जरम सं0-563

आदेश कार्रवाई टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

23

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) दिलीप राम पिता शहदेव राम एवं (2.) मुकेश राम पिता अर्जुन राम, दोनों का पता ग्राम-घांसी टोला, कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-17, प्लॉट संख्या-1527, रकवा 0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि निर्मला कुमारी पिता सुन्दर राम, निवास स्थान ग्राम-चलंगा, पोस्ट-भेलवारा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-810/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6191/रा0 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 188 दिनांक 01.02.2023 से जॉच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

- क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। आवेदित भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत घमण्डी घासी हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.84 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.50 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-16/I पर घमण्डी घासी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदकगण के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास संयुक्त खाते में रकवा 0.48 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची–14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) दिलीप राम पिता शहदेव राम एवं (2.) मुकेश राम पिता अर्जुन राम, दोनों का पता ग्राम–घांसी टोला, कोर्रा, पोस्ट–कोर्रा, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–जबरा, थाना नं0–154, खाता संख्या–17, प्लॉट संख्या–1527, रकबा 0.02 एकड़ (02 डिसमिल) (दो डिसमिल) भूमि निर्मला कुमारी पिता सुन्दर राम, निवास स्थान ग्राम–चलंगा, पोस्ट–भेलवारा, थाना–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 23/3/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (हस्ताक्षर) 23/3/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.03.25 15:43:43 +05:30
Location: 192.168.0.104